न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:—49 / 2024

जी.सी.एम.एस नं.—2024 / 98

लवन्या पुत्री अमित कुमार उम्र 4 वर्ष नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता उर्मिला पत्नी अमित कुमार जाति मेघवाल उम्र 28 वर्ष निवासी चक 24 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)

———वादीया

बनाम्

1. कृष्णा देवी पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी चक 24 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————प्रतिवादीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित—

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट — वादीया की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट — प्रतिवादीगण की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

—:: निर्णय ::— **दिनांक:—29.07.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण सं.—1 द्वारा चक 2 के (ए) तहसील अनूपगढ़ का मु.न.—21 पं.न.—218 / 57 का 13 / 2 का 0.126, 14 ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21 / 2 का 0.202, 22 / 2 का 0.202, 23 / 2 का 0.202, 24 / 2 का 0.203, 25 / 2 का 0.203 का कुल भूमि 2.909 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादीया को उसके सम्मसिद्ध अंश अनुसार वादीया के हिस्सा का वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया और तदुनुसार वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने का आदेश प्रतिवादीगण सं.—3 तहसीलदार अनूपगढ़ को दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने **प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

निवेदन किया कि विवादित भूमि चक 2 के (ए) का पत्थर संख्या 218/57 मु.नं. 21 के किला नं. 13/2, 14 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 का कुल 2.909 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित सहदायिक/पैतृक सम्पति बताते हुए वाद पत्र पेश किया हैं लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त सम्पति सहदायिक/पैतृक सम्पति प्रतीत हो वास्तविकता यह हैं कि उक्त वादाधीन सम्पति मुझ प्रतिवादी कृष्णा की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि हैं जो मुझ प्रतिवादी ने प्रेम सिंह पुत्र निर्मल सिंह मजहबी एवं जसविन्द्र कौर पत्नी प्रेम सिंह मजहबी से जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की हैं और खरीद उपरांत नामान्तरण संख्या 219 मुझ प्रतिवादी के नाम दर्ज हुआ है। नामान्तरण संख्या 219 की प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते हैं। हिन्दू विधि के तहत किसी हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति उसकी आत्यान्तिक सम्पत्ति हैं जिसकी वह हिन्दू स्त्री पूर्ण व आत्यान्तिक स्वामी है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति सलंग्न प्रार्थना–पत्र है। चूंकि विवादित सम्पत्ति मुझ प्रतिवादी की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति हैं जिसमें वादी का अधिकार नहीं है। वादी का वाद पोषणीय नहीं है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। मुझ प्रतिवादी सं.–1 को अपनी उक्त सम्पत्ति के निर्बाध उपयोग, उपभोग, कब्जा, काश्त निस्तारण आत्यान्तिक अधिकार हैं मैं प्रतिवादी यहां यह भी व्यक्त करती हैं कि मेरे द्वारा अपनी उक्त स्वअर्जित व खरीदशुदा सम्पत्ति में से किला नं.–20 का 0.253 हैक्टर, 21/2 का 0.202 हैक्टर कुल 0.455 हैक्टर का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 13/11/2024 को कृष्णा देवी पत्नी इन्द्राज एवं किला नं.–19 का 0.253 हैक्टर एवं 22/2 का 0.202 हैक्टर कुल तादादी 0.455 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 13/11/2024 वेदप्रकाश पुत्र बृजलाल को किया जा चुका है। तदुपरांत मुझ प्रतिवादी द्वारा मेरी शेष रही 1.999 हैक्टर कृषि भूमि में से 102/1999 हिस्सा का बेचान रमेश कुमार पुत्र साहबराम को किया जा चुका है। जिसका नामान्तरण उक्त खरीददारों के नाम से हो चुका है। उक्त बैयनामाजात दिनांक 13/11/2024 एवं वर्तमान जमाबन्दी की प्रति सलंग्न है। वादी का वाद पूर्णतयाः Frivolous, वेग एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं जो पोषणीय नहीं है तथा वाद पत्र इसी स्तर पर काबिल खारिज है। मेरी खरीदशुदा उक्त कृषि भूमि में मेरे जीवनकाल में वादीया का कोई पैतृक हक व अधिकार नहीं है। वादीया का वाद विधि विरुद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज हैं कि वादीया का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज करमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/वादीगण ने निवेदन किया कि हैं दर्ज भूमि पैतृक सम्पति हैं जिसके लिए दस्तावेज इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जा रहे हैं एवं उक्त तथ्य साक्ष्य से तय किये जा सकेगे एवं जिस बाबत माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.06.2025 में भी तय माना हैं कि साक्ष्य से ही सिद् होना हैं निर्णय की प्रति जवाब के साथ प्रस्ततु की जा रही हैं जहा तक जमीन के आगे बेचान का प्रश्न हैं उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

लिए पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा हैं सम्पति अन्तर्गत आधिनियम की धारा 52 के तहत आरम्भ से ही शून्य हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जायें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीया के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादीया द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को सहदायिक सम्पति बताते हुए वाद पेश किया हैं लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त सम्पति सहदायिक सम्पति प्रतीत होती हो। उक्त वादाधीन सम्पति प्रार्थीया कृष्णा देवी पत्नी मांगीलाल की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि हैं और विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीया का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादीया का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 विवादित कृषि भूमि जरिए बैयनामा खरीद कि हैं जो प्रतिवादी सं.–1 की स्वः अर्जित सम्पति हैं प्रतिवादी सं. –1 अपने जीवन में विवादित सम्पति का पूर्ण व एक मात्र स्वामी हैं वादीया का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीया/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया (प्रतिवादीगण सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादीया का वाद पत्र [illegible] जाता है।

निर्णय आज **दिनांक 29.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर, जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़